

पर्वा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

सि० न० 174 / 2026

1. बलवंत पुत्र भादरराम } जाति नायक निवासीयान सहारणी तहसील टिब्बी जिला
 2. पालाराम पुत्र भादरराम } हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. जीतराम, पि० पेमाराम जाति नायक निवासीयान सहारणी तहसील टिब्बी जिला
2. रामस्वरूप हनुमानगढ।
3. सन्तोष पुत्री पेमाराम जाति नायक निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. रुकमा पुत्री पेमाराम जाति नायक निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. नीरु पुत्री भादरराम } जाति नायक निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला
6. ममता पुत्री भादरराम } हनुमानगढ।
7. कृष्णलाल पुत्र मुन्नी देवी पुत्री पेमाराम
8. जगदीश पुत्र मुन्नी देवी पुत्री पेमाराम
9. बलवंत पुत्र मुन्नी देवी पुत्री पेमाराम
10. माया पुत्री मुन्नी देवी पुत्री पेमाराम
11. सावित्री देवी पत्नी स्व० पृथ्वीराज
12. इन्द्रा पुत्री स्व० पृथ्वीराज
13. लक्ष्मण पुत्र स्व० पृथ्वीराज
14. गुड्डी देवी पत्नी स्व० नत्थूराम
15. अमरचन्द पुत्र स्व० नत्थूराम
16. कमलेश पुत्री स्व० नत्थूराम
17. संतोष पुत्री स्व० नत्थूराम
18. रमेश पुत्र स्व० नत्थूराम
19. रोहित पुत्र स्व० नत्थूराम
20. सरोज पत्नी स्व० देवीलाल
21. धर्मपाल पुत्र स्व० देवीलाल
22. पूनम पुत्री स्व० देवीलाल
23. सुखवीर उर्फ शिशपाल पुत्र स्व० देवीलाल } जाति नायक निवासीयान बहलोलनगर तहसील
24. सन्तोष उर्फ बगा पुत्री देवीलाल } व जिला हनुमानगढ।

अकवाम नायक निवासी बहलोलनगर

तहसील व जिला हनुमानगढ।



प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं० 5 सीडीआर के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 41/40 में कुल 0.911 है० नहरी आराजी में से वादीगण सं० 1 व 2 ब०हिं०ब० 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक 1/3- 1/3 हिस्सा की आराजी के खातेद्वारा काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं० 5 सीडीआर के खाता सं० 41/40 से प्रतिवादीगण सं० 3 ता 24 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक

अधिकारी
 नायक को
 टिब्बी

रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकवे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सहायक न्यायाधीश R.A.S)
उपस्थंड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।